



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940
No. 618] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

वाणिज्य और मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 र, 2018

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्र सरकार, फुट बयर डिजाइन और वका स्थान ध नयम 2017 (2017 का 20) की धारा 16 की उपधारा (1) के अथ पठि धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक यों का प्रयोग करे हुए, फुट बयर डिजाइन और वका स्थान में प्र ध नदेशक के पद पर भ र्ती की पद्ध का व नयमन करने के लए न न ल ख नयम ना ी है र्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांभः**—(1) इन नयमों का क्षप नाम वा णज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटबियर डिजाइन और वका स्थान, प्र ध नदेशक भ र्ती नयम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की ारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तरः** पद की ंख्या, उ का वर्गीकरण और वे न मैट्रिक्स में स् र वह होगा, जो इन नयमों े उपा द्ध नु ची के संभ (2) े संभ (4) में व नर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भ र्ती की पद्ध , आयु सीमा, र्हताएं और उ े ंबंधि न्य ा े वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त नु ची के संभ (5) से (13) में व नर्दिष्ट है।

4. **चयन प्रक्रिया** :—(1) " रोजगार समाचार " में वज्ञापन, ज में खुला वज्ञापन भी शा मल है, के माध्यम से आवेदन आमंत्रि किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लए न्यूनतम सीमा 4 णाह होनी चा हए। त्वरि मामलों, जनमें परिहार्य कारणों े रिक्त को त्काल भरना नवार्य हो, वा णज्य वभाग के युक्त चव के नुमोदन े आवेदन की लप समयावधि, कम से कम 2 णाह नर्धारि की जाएगी।

- (3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासक क्षेत्र या नजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्व विद्यालय या मान्य प्राप्ति सुसंस्थान स्थान के आवेदकों द्वारा उच्च माध्यम द्वारा आवेदन करना नवार्थ होगा, जो दले में वर्ग 5 वर्षों की मसुदा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य-नष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का ग्रेपण करेंगे।
- (4) चयन और नयुक्ति प्रक्रिया में नष्पक्षता, पारदर्शीता और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए वाणज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की संरचना संभ (12) में वर्णित है।
- (5) चयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए कम से कम तीन सदस्यों का कोरम पेश होगा, जिनमें अध्यक्ष शांति परिषद भी शामिल हैं।
- (6) वाणज्य विभाग, फुटबल डेजाइन और वकाशस्थान में प्रबंधन नदेशक के पद के लिए वजापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त भी आवेदनों को चयन समिति को पेश दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा ही मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पेश की लटी टेस्ट/परीक्षाकार या अन्य यथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उमीदवारों की शैयारचीने योग्य उमीदवारों के नामों के एक पैल की स्तुति करेगी। चयन समिति की स्तुति या संबंध मंत्री, जो इस मामले में क्षम प्राधिकारी होंगे, के नुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद प्रस्ताव मंत्रिमंडल की नयुक्ति समिति (एन सी सी) को भेजी जाएगी। एन सी सी के नुमोदन के बाद उमीदवार की नयुक्ति फुटबल डिजाइन और वकाशस्थान के प्रबंधन नदेशक के पद पर की जाएगी।

5. अन्य नियमों का लाहूना आदि.—(1) धकारी की दृष्टि से ही होना चाहिए। आवेदन के ग्रेपण के समय आवेदक के मूल वर्ग द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

- (2) धकारी पर केन्द्रीय प्रनयुक्त के लिए रोक न लगाई गई हो।
- (3) धकारी का पछले वर्षों में कम से कम “हुच्छा” वा रिकार्ड होना चाहिए। हालांकि, जन धकारियों का 8 या उससे अधिक वर्षों का “उत्कृष्ट” वा रिकार्ड होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- (4) आवेदन प्रस्तुत करने वाले धकारी अध्ययन वकाशया ली छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।
- (5) धकारी वदेश में प्रशक्षण के लिए नाम नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रस्तुत करने वाले धकारी की वदेशी कार्य थवा प्रशक्षण पर नहीं होना चाहिए।
- (6) सभी मान्य नियम व विनियम, नुशा नात्मक नियमों इत्यादि यह नयुक्त व्यक्त पर लागू होंगे।

6. निहता.—वह व्यक्ति-

- (क) जने ऐसे व्यक्त जका पयाज की पत्नी जीवित है, ववाह किया है; या ववाह की वदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीव रहे हुए की व्यक्त ववाह किया है, या ववाह की वदा की है,

उक्त पद पर नयुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह सुष्टी हो जाती है कि ऐसी ववाह उक्त व्यक्त और ववाह के न्यपक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन नुजेय है और ऐसी करने के लिए न्य आधार हैं तो वह की व्यक्त को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उक्त के लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखित करके, इन नियमों के की उपबंध को की वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की शिथिल, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई शिथिल, ऐसी आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और न्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के नुसार नुसूच जायें, अनुसूचित जनजातियों, न्य पछड़ा वर्ग, भू पूर्व शैतकों और न्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना पेश है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गिकण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रबंध निदेशक	1 (एक)	लागू नहीं होता	स्तर- 14 (144200-218200 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा (जो के अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जा सकेगा।
(11)	
प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) के नियमों के अथवा राज्य सरकार के अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वयत्त या संविधिक नियमों या विश्वविद्यालय या अन्य प्रोत्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:	
(i) क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या	
ख) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि को के नियमों के अथवा राज्य सरकार के अथवा संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वयत्त या संविधिक नियमों या विश्वविद्यालय या अन्य प्रोत्त अनुसंधान संस्थान में समूह 'क' अथवा समतुल्य सेवा में कम से कम पंद्रह वर्ष की सेवा की हो।	
ग) जिन्होंने आवेदन की अंतिम तिथि को ऊपर उल्लिखित समूह 'क' में 15 वर्ष की सेवा में से कम से कम 3 वर्ष तक के नियमों के अथवा राज्य सरकार के अथवा संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वयत्त या संविधिक नियमों या विश्वविद्यालय या अन्य प्रोत्त अनुसंधान संस्थान में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 13 या समतुल्य में सेवा की हो।	
(ii) निम्नलिखित अर्हताएं खते हों, अर्थात्:—	
(क) किसी अन्य प्रोत्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;	
ख) प्रशसन के क्षेत्र में दस वर्षों का अनुभव।	
(iii) वांछनीय	
क) चमड़ा प्रद्योगिकी अथवा उद्योग में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव;	
ख) व्यप प्रशसन में स्नातकोत्तर।	
टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत के नियमों के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कर्तव्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

- टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3.** प्रतिनियुक्ति की अवधि पाँच वर्ष की होगी। प्रतिनियुक्ति के संसर्ग की विदेश सेवा के निबंधन और शर्तों के अनुसार होगी।
- टिप्पण 4.** कार्य निष्पन्न करने पर अंतोपजनक पाए जाने पर सक्षम अधिकारी को सेवा काल के दौरान किसी समय भी अधिकारी को उसके मूल कैड में वापस भेजने का अधिकार होगा। सक्षम अधिकारी का निर्णय ऐसे मामले में अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- टिप्पण 5.** प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें समय-समय पर केन्द्रीय सरकार की संगत निदेशों के अधीन होंगी।

यदि विभागीय चयन समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) अपर सचिव, वणिज्य विभाग – अध्यक्ष (ख) अध्यक्ष, शसिपति, फुटविय डिजाइन और विकास संस्थान – सदस्य (ग) चमड़ा उद्योग से एक सदस्य और; (घ) किसी प्रमुख संस्थान जैसे केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान अथवा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से वणिज्य विभाग, भारत सरकार नामित एक बड़ी विशेषज्ञ	लगा नहीं होता है।

[फा. सं. के- 50011/1/2018 – ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, युक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 16 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Managing Director in the Footwear Design and Development Institute namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Managing Director Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.**—(1) By invitation of applications through open advertisement including advertisement in 'Employment News'.

(2) The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3) The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or statutory Body or University or recognised Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4) To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5) Quorum of at least three members, including Chairperson, Governing Council shall be required for convening a meeting of Selection Committee.

(6) The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Managing Director, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria. The Selection Committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned. Thereafter, the proposal shall be sent to the Appointments Committee of the Cabinet (ACC). After approval of the ACC, the candidate shall be appointed as Managing Director, Footwear Design and Development Institute.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle. A certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2) The officer should not have been debarred from Central deputation.

(3) The officer should have at least "very good" service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have "outstanding" service record with a grading of eight and above.

(4) The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5) The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6) All applicable rules and regulations, including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Managing Director.	1 (One).	Not applicable.	Level – 14 (Rs. 144200-218200).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer.
(10)
By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / transfer, grades from which promotion or deputation / transfer is to be made.
(11)
<p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous or Statutory body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(b) with at least fifteen years' service in Group. 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application;</p> <p>(c) out of the fifteen years of service in Group 'A' as mentioned above, at least three years of service in level 13 in the pay matrix or equivalent in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application;</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) Bachelor Degree from a recognised University;</p> <p>(b) with ten years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable :—</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year.</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p>

<p>Note 2. -The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty five years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3. -The period of deputation shall be for five years. The deputation shall be on foreign service terms and conditions of the Central Government.</p> <p>Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.</p> <p>Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.</p>
--

If a Departmental Selection Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12.	13.
<p>The Selection Committee consisting of:-</p> <p>(a) Additional Secretary, Department of Commerce - Chairperson;</p> <p>(b) The Chairperson, Governing Council, Footwear Design and Development Institute – member.</p> <p>(c) One member from Leather Industry; and</p> <p>(d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India.</p>	Not applicable.

[F. No. K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2018

सा.का.नि. 842(अ).—केन्द्र सरकार, फुट वयर डिजाइन और वका ंस्थान ध्वनयम 2017 (2017 का 20) की धारा 17 की उपधारा (1) के ाथ पठि धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्यों का प्रयोग करे हुए, फुटवियर डिजाइन और वका ंस्थान में चव के पद पर भर्ती की पद्ध का वनयमन करने के लए न नलिखित नियम ना है र्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम औ प्रांभ:**—(1) इन नयमों का ंक्षिप्त नाम वा णज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और वका ंस्थान, चव भर्ती नयम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की ारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गिण औ वेतन मट्रिक्स में स्तर:** पद की ंख्या, उ का वर्गीकरण और वे न मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नयमों े उपा द्ध नु ली के संभ (2) े संभ (4) में व नर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्ध , आयु सीमा, र्ह ताएं और उ े ंबंधि न्य ता ें वे होंगी जो उक्त /पूर्वोक्त नु ली के संभ (5) से (13) में व नर्दिष्ट है।

4. **चयन प्रक्रिया :**—(1) “ रोजगार समाचार ” में वज्ञापन, ज में खुला वज्ञापन भी शा मल है, के माध्यम से आवेदन आसंत्रि किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीमा 4 पृष्ठ होनी चाहिए। त्वरित मामलों, जनमें परिहार्य कारणों के रिक्त को त्काल भरना नवार्य हो, वाणज्य विभाग के नियुक्त चव के नुमोदन के आवेदन की त्वरित समयावधि, कम से कम 2 पृष्ठ नर्धारित की जाएगी।

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र या नजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्व विद्यालय या मान्य प्राप्त अनुष्ठान स्थान के आवेदकों द्वारा उच्च माध्यम द्वारा आवेदन करना नवार्य होगा, जो दले में वग 5 वर्षों की मसु वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्य – नष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का ग्रेषण करेंगे।

(4) चयन और नयुक्त प्रक्रिया में नष्पक्षता, पारदर्शिता और मुक्त आयोजन के लिए वाणज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की संरचना संभ (12) में वर्णित है।

(5) चयन समिति के बैठक के आयोजन के लिए कम से कम तीन दस्यों का कोरम पेश होना चाहिए ज में फुट वयर डिजाइन और वका स्थान के प्रबंध नदेशक भी शामिल होंगे, फुटवियर डिजाइन और वका स्थान, प्रबंध नदेशक चयन समिति के दस्य चव होंगे।

(6) वाणज्य विभाग, फुट वयर डिजाइन और वका स्थान में चव के पद के लिए वजापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त सभी आवेदनों को चयन समिति को सौंप दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा हर्षा मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पंक्ति लटी टेस्ट/इन्टव्यू या न्ययथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उमीदवारों की तैयारी की योग्य उमीदवारों के नामों के एक पैनल की संसुति करेगी। चयन समिति की संसुतियों को संघीय मंत्री, जो इस मामले में क्षम प्राधिकारी होंगे, के नुमोदन के लिए प्रसुत की जाएगी। क्षम प्राधिकारी के नुमोदन के बाद पैनल के क्रम संख्या के अनुसार पैनल के नामों में उमीदवार की नयुक्ति फुटवियर डिजाइन और वका स्थान के चव के पद पर की जाएगी।

5. अन्य नियमों का लाहना आदि – (1) धकारी की ा की दृष्टि से ही होना चाहिए। आवेदन के ग्रेषण के मय आवेदक के मूल वर्ग द्वारा इस संबंध में एक प्रमाण – पत्र प्रसुत किया जाएगा।

(2) धकारी पर केन्द्रीय प्र नयुक्ति के लिए रोक न लगाई गई हो।

(3) धकारी का पछले वर्षों में कम से कम “दुच्छा” वैवारिक होना चाहिए। हालांकि, जन धकारियों का 8 या उधे धकारियों का “उत्कृष्ट” वैवारिक होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) आवेदन प्रसुत करने मय धकारी ध्ययन वकाश या ली छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।

(5) धकारी वदेश में प्रशक्षण के लिए नाम नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रसुत करने मय किी वदेशी कार्य थवा प्रशक्षण पर नहीं होना चाहिए।

(6) भी मान्य नियम व विनियम, नुशा नात्मक नियमों इत्यादि ह नयुक्त व्यक्त पर लागू होंगे।

6. निहता-वह व्यक्ति-

(क) जने ऐे व्यक्त जका पया जकी पत्नी जीवित है, ववाह किया है; या ववाह की वदा की है, या

(ख) जने पने पया पत्नी पत्नी के जीव रहे हुए किी व्यक्त ववाह किया है, या ववाह की विदा की है, उक्त पद पर नयुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह सुष्टी हो जाती है कि ऐे ववाह उक्त व्यक्त और ववाह के न्यपक्षकार को लागू स्वीय वध के धीन नुजेय है और ऐे करने के लिए न्य आधार हैं तो वह किी व्यक्त को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐे करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेख द्ध करके, इन नियमों के किी उपबंध को किी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की ा, आदेश द्वारा शिथिल करेगी।

8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई ा, ऐे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और न्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में मय-मय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नुसूच जायें, अनुसूचित जनजायें, न्य पछड़ा वर्ग, भू पूर्व सैनिकों और न्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना पेश है।

अनुसूची

पद का नाम	पद ंख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में र	चयन या अचयन पद	ीधे भ र्ी किए जाने वाले व्य क यों के लिए विहित आयु	ीधे भ र्ी किए जाने वाले व्य क यों के लिए पेशे शै क्षक और न्य र्ही ाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सचिव	1 (एक)	लागू नहीं होता ।	र - 13 (123100-215900 रूपए)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं हो ।

ीधे भ र्ी किए जाने वाले व्य क यों के लिए व ह आयु और शै क्षक र्ही ाएं प्रोन्न व्य क यों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की व ध, यदि कोई हो।	भ र्ी की पद्ध : भ र्ी ीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्र नयु क या स्थानांतरण द्वारा ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं हो ।	लागू नहीं हो ।	प्रोन्नति द्वारा (ज के तर्गत ल्पकालीन संविदा भी है) ।

प्रोन्नति या प्र नयु क / स्थानान् रण द्वारा भ र्ी की दशा में वे श्र णयां जनमें प्रोन्न या प्र नयु क /स्थानांतरण किया जाएगा ।
(11)
<p>प्र नयुकि द्वारा (ज के तर्गत ल्पकालीन वदा भी है) केंद्रीय रकार थवा राज्य रकार थवा ंघ राज्य क्षेत्र थवा ार्वजनक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत् या सांविधिक निकाय या वश्व वद्यालय या मान्य ा प्राप्त नुसंधान ंस्थान के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(i) (क) जन्होंने नय म आधार पर दृश पद धारण किया हो; या</p> <p>(ख) जन्होंने आवेदन की ं म ारीख को केंद्रीय रकार या राज्य रकार या ंघ राज्य क्षेत्र या ार्वजनक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त नकाय या ा व धक नकाय या वश्व वद्यालय या मान्य ा प्राप्त नुसंधान ंस्थान में मूह 'क' या म्ुल्य सेवा में कम े कम द वर्ष की ेवा की हो ।</p> <p>(ग) जन्होंने आवेदन की ंिम ारीख को ऊपर उ ल्लिखित समूह 'क' में 10 वर्ष की ेवा में े कम े कम 5 वर्ष क केंद्रीय रकार थवा राज्य रकार या ंघ राज्य क्षेत्र या ार्वजनक उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या वश्व वद्यालय या मान्य ा प्राप्त नुसंधान ंस्थान में वेतन मैट्रिक के र - 12 या म्ुल्य में ेवा की हो ।</p> <p>(ii) न न ल ख र्ही ाएं रखे हों, र्था :—</p> <p>(क) कि ि मान्य ा प्राप्त वश्व वद्यालय े स्ना क डग्री;</p> <p>(ख) प्रशा न के क्षेत्र में द वर्षों का नुभव ।</p> <p>(iii) बांछनीय</p> <p>(क) चमड़ा प्र द्यो गकी थवा उद्योग में कम े कम 1 वर्ष का नुभव;</p> <p>(ख) व्यव ाय प्र ंधन में स्ना कोत् र डग्री ।</p>

<p>टिप्पण 1.—प्र नयुक् की वध, ज के र्ग केंद्रीय रकार के उी या किी न्य गठन या वभाग में इ नयुक् ठीक पहले धारि किी न्य काडर ाह्य पद पर प्र नयुकि की वध है, ाधारण या 5 वर्ष े धक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2.—प्र नयुक् द्वारा नयुकि के लए धक म आयु िमा आवेदन प्राप् करने की ं म ारीख को 50 वर्ष े धक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3.—प्र नयुक् की वध भार रकार द्वारा वह मय िमा के नु ार पांच वर्ष की होगी। प्र नयुक् केंद्र रकार की वदेश े वा के न धन और श ी के नु ार होगी।</p> <p>टिप्पण 4.—कार्य नष्पादन ं तोषजनक पाए जाने पर क्षम प्रा धकारी को े वाकाल के द रान किी मय भी धकारी को उ के मूल कैडर में वाप भेजने का धकार होगा। ऐ े मामलों में क्षम प्रा धकारी का नर्णय ं म और ाध्यकारी होगा।</p> <p>टिप्पण 5.—प्र नयुकि के न्य न धन और श े मय— मय पर केंद्रीय रकार द्वारा जारी ं ग नदेशों के धीन होगी।</p>

यदि वभागीय चयन समिति है, ो उ की रचना।	भ ि करने में किन परि स्थ यों में ं घ लोक े वा आयोग े परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
चयन समिति में न नलिखित दस्य होंगे:— (क) ं युक् सचिव, वा णज्य विभाग – ध्यक्ष (ख) प्र ं ध नदेशक, फुट वयर डजाइन और वका ं स्थान – दस्य (ग) चमड़ा उद्योग े एक दस्य और; (घ) किी प्रमुख ं स्थान जैसे केंद्रीय चमड़ा नुसंधान ं स्थान थवा राष्ट्रीय फैशन प्र द्यो गकी ं स्थान अथवा भारीय प्र द्यो गकी ं स्थान थवा राष्ट्रीय डजाइन ं स्थान े वा णज्य विभाग, भार रकार द्वारा ना म एक ाहरी वशेषज्ञ।	लागू नहीं हो ा।

[फा. सं. के- 50011/1/2018 – ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, ं युक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 842(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 17 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary in the Footwear Design and Development Institute namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Secretary Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.** – (1) By invitation of applications through open advertisement including advertisement in ‘Employment News’.

(2) The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3) The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report / Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4) To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5) Quorum of at least three members, including Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be required for convening a meeting of Selection Committee. Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be the Member Secretary of the Selection Committee.

(6) The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Secretary, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria. The Selection committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned who will be the competent authority in the case. After approval of the competent authority, the candidate shall be appointed as Secretary, Footwear Design and Development Institute from the panel of names as per the serial order in the panel.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle. A certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2) The officer should not have been debarred from Central deputation.

(3) The officer should have at least “very good” service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have “outstanding” service record with a grading of eight and above.

(4) The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5) The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6) All applicable rules and regulations, including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Secretary.	1(One).	Not applicable.	Level 13 (Rs. 123100 - 215900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer.
10.
By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/transfer, grades from which promotion or deputation on transfer is to be made.
11.
<p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognized research institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(b) with at least ten years' experience in Group. 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute, on the closing date of application;</p> <p>(c) out of the ten years of service in Group. 'A' as mentioned above, at least five years of service should be in Level 12 in the pay matrix or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute, on the closing date of application;</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely;-</p> <p>(a) Bachelor degree from a recognised University;</p> <p>(b) with at least five years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable :—</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year.</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p> <p>Note 2.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty years as on the closing date of receipt of applications.</p>

Note 3. -The period of deputation shall be for five years subject to overall ceiling prescribed by the Government of India. The deputation will be on foreign service terms and conditions of the Central Government.

Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.

Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.

If a Departmental Selection Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12.	13.
(a) Joint Secretary, Department of Commerce – Chairperson; (b) Managing Director, Footwear Design and Development Institute – Member; (c) One member from Leather Industry; and (d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India.	Not applicable.

[F. No. - K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2018

सा.का.नि. 843(अ).—केन्द्र सरकार, फुट वयर डिजाइन और वका संस्थान अधिनियम 2017 (2017 का 20) की धारा 18 की उपधारा (1) के अथ पठि धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तों का प्रयोग करते हुए, फुटवियर डिजाइन और वका संस्थान में कार्यकारी नदेशक के पदों पर भर्ती की पद्धति का वनयमन करने के लिए नव नलख नयम जारी है। अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रांभ:**—(1) इन नयमों का संक्षिप्त नाम वाणज्य और उद्योग मंत्रालय, फुटवियर डिजाइन और वका संस्थान, कार्यकारी नदेशक भर्ती नयम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**—पद की संख्या, उपाधि वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नयमों के उपाध नुस्खी के संभ (2) के संभ (4) में वर्णित है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उपाध संबंधी नित्यताएं वे होंगी जो उक्त अधिनियम नुस्खी के संभ (5) से (13) में वर्णित हैं।

4. **चयन प्रक्रिया:**—(1) "रोजगार समाचार" में वज्ञापन, जहां में खुला वज्ञापन भी शामिल है, के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।

(2) आवेदन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीमा 4 घंटे होनी चाहिए। त्वरित मामलों, जिनमें परिहार्य कारणों के लिए को त्काल भरना अनिवार्य हो, वाणज्य विभाग के अधिकारियों के सुमोदन से आवेदन की अल्प समयावधि, कम से कम 2 घंटे नर्धारित की जाएगी।

(3) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासक क्षेत्र या नजी क्षेत्रों के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक निकायों या विश्व विद्यालय या मान्य प्राप्ति प्राप्त नुसंधान स्थान के आवेदकों द्वारा उच्च माध्यम द्वारा आवेदन करना नवार्थ होगा, जो दले में वग 5 वर्षों की मसु वाषिक गोपनीय रिपोर्ट/वाषिक कार्य – नष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का ग्रेषण करेंगे।

(4) चयन और नयुक्त प्रक्रिया में नष्पक्षता, पारदर्शीता और मुक्त आयोजन के लिए वाणज्य विभाग एक चयन समिति का गठन करेंगे। चयन समिति की रचना सभ (12) में वर्णित है।

(5) चयन समिति की बैठक के आयोजन के लिए न्यूनतम तीन दस्यों का कोरम पेश होगा ज में फुट वयर डिजाइन और वकाश स्थान के प्रबंध नदेशक भी शामिल होंगे। फुट वयर डिजाइन और वकाश स्थान, प्रबंध नदेशक चयन समिति के दस्य चव होंगे।

(6) वाणज्य विभाग, फुट वयर डिजाइन और वकाश स्थान में कार्यकारी नदेशक के पद के लिए वज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रकार प्राप्त भी आवेदनों को चयन समिति को पेश दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा ही मानदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी। चयन समिति, पेश लटी टेस्ट/इन्टव्यू या न्ययथा उपयुक्त पद्धति के आधार पर उमीदवारों की शैयार लूची योग्य उमीदवारों के नामों के एक पैनल की स्तुति करेगी। चयन समिति की स्तुतियों को संघी मंत्री, जो इस मामले में क्षम प्राधिकारी होंगे, के नुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। क्षम प्राधिकारी के नुमोदन के बाद पैनल के क्रम ख्या के नुसार पैनल के नामों में उमीदवार की नयुक्ति फुटवियर डिजाइन और वकाश स्थान के कार्यकारी नदेशक के पद पर की जाएगी।

5. **अन्य नियमों का लाहना, आदि -** (1) धकारी की दृष्टि ही होना चाहिए। आवेदन के ग्रेषण के मय आवेदक के मूल वर्ग द्वारा इस बंध में एक प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) धकारी पर केन्द्रीय प्रनयुक्ति के लिए रोक न लगाई गई हो।

(3) धकारी का पछले वर्षों में कम से कम “दृष्टि” वा रिकार्ड होना चाहिए। हालांकि, जन धकारियों का 8 या उधे धकारियों का “उत्कृष्ट” वा रिकार्ड होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) आवेदन प्रस्तुत करने मय धकारी ध्ययन वकाश या ली छुट्टी पर नहीं होना चाहिए।

(5) धकारी वदेश में प्रशक्षण के लिए नाम नहीं होना चाहिए या आवेदन प्रस्तुत करने मय किी वदेशी कार्य थवा प्रशक्षण पर नहीं होना चाहिए।

(6) भी मान्य नियम व विनियम, ज के वर्ग नुशा नात्मक नयम आदि भी शामिल हैं, नयुक्त व्यक्त पर लागू होंगे।

(7) धकारी: फुट वयर डिजाइन और वकाश स्थान के किी परिर में पूर्णभार में वा के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. निहता-वह व्यक्ति-

(क) जने ऐव्यक्त जका पया जकी पत्नी जीवित है, ववाह किया है; या ववाह की वदा की है, या

(ख) जने पने पया पत्नी पत्नी के जीव रहे हुए किी व्यक्त से विवाह किया है, या ववाह की विदा की है, उक्त पद पर नयुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह सुष्टी हो जाी है कि ऐववाह उक्त व्यक्त और ववाह के न्यपक्षकार को लागू स्वीय वध के धीन नुजेय है और ऐवकरने के लिए न्यआधार हैं तो वह किी व्यक्त को इस नयम के प्रवर्तन छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐवकरना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखित करके, इन नियमों के किी उपध को किी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की त, आदेश द्वारा शथल करेगी।

8. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई त, ऐवआरक्षण, आयु-ीमा में छूट और न्यरियायों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बंध में मय-मय पर जारी किए गए आदेशों के नुसार नुसूच जायों, अनुसूचित जनजायों, न्यपछड़ा वर्ग, भूपूर्व नकों और न्यवशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपध करना पेश है।

अनुसूची

पद का नाम	पद 'ख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक में र	चयन या अचयन पद	पिछे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु	पिछे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए पेशी शैक्षक और न्यून हूँ हूँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यकारी निदेशक	12* (बारह) * कार्यभार में परिवर्तन के अनुसार।	लागू नहीं होता।	र - 12 (78800-209200 रूपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं हो ।

पिछे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए वह आयु और शैक्षक हूँ हूँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की वृद्ध, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती पिछे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्र नयुक्ति या स्थानांतरण द्वारा।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं हो ।	लागू नहीं हो ।	प्रोन्नति द्वारा (ज के तर्गत लपकालीन संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्र नयुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जनमें प्रोन्नत या प्र नयुक्ति /स्थानांतरण किया जाएगा।
(11)
प्र नयुक्ति द्वारा (ज के तर्गत लपकालीन संविदा भी है) केंद्रीय सरकार थवा राज्य सरकार थवा 'घ' राज्य क्षेत्र थवा 'व' नक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या विधिक निकाय या वश्व वद्यालय या मान्य । प्राप् नुसंधान स्थान के ऐसे अधिकारी:
(i) (क) जन्होंने नयम आधार पर दृश पद धारण किए हों; या
(ख) जन्होंने आवेदन की ति म तारीख को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या 'घ' राज्य क्षेत्र या 'व' नक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या विधिक निकाय या वश्व वद्यालय या मान्य । प्राप् नुसंधान स्थान में मूह 'क' थवा मुल्येवा में कम े कम आठ वर्ष की ेवा की हो ।
(ग) जन्होंने आवेदन की ति म तारीख को ऊपर उल्लिखित समूह 'क' में 8 वर्ष की ेवा में े कम े कम 5 वर्ष क केंद्रीय सरकार थवा राज्य सरकार या 'घ' राज्य क्षेत्र या 'व' नक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या वश्व वद्यालय या मान्य । प्राप् नुसंधान स्थान में वेतन मैट्रिक के र - 11 या मुल्य में ेवा की हो ।
(ii) न नलिखित हूँ हूँ रखे हों, र्था :—(क) कि ी मान्य । प्राप् वश्व वद्यालय े स्ना क डग्री;
(ख) प्रशा न के क्षेत्र में कम े कम 5 वर्षों का नुभव ।
(iii) बांछनीय
(क) चमड़ा प्र द्यो गकी थवा उद्योग में कम े कम 1 वर्ष का नुभव;

(ख) व्यवसाय प्रबंधन में स्नाकोत्तर डिग्री।

टिप्पण 1.—प्रन्युक् की वृद्धि, जहाँ के वर्ग केंद्रीय सरकार के उपायों की न्युन्य गठन या वभाग में इ न्युक् ठीक पहले धारि की न्युकाडर तह्य पद पर प्रन्युक् की वृद्धि है, तधारण या 5 वर्षे धक नहीं होगी।

टिप्पण 2.—प्रन्युक् द्वारा न्युक् के लए धक म आयु िमा आवेदन प्राप् करने की िम तारीख को 50 वर्षे धक नहीं होगी।

टिप्पण 3.—प्रन्युक् की वृद्धि भार सरकार द्वारा वह मय िमा के तु तार पांच वर्ष की होगी। प्रन्युक् केंद्र सरकार की वदेशेवा के नंधन और शर्ों के तु तार होगी।

टिप्पण 4. कार्य नष्पादन त्तोषजनक पाए जाने पर क्षम प्राधकारी कोेवाकाल के दरान की मय भी धकारी को उ के मूल कैडर में वाप भेजने का धकार होगा। ऐे मामलों में क्षम प्राधकारी का नर्णय िम और तध्यकारी होगा।

टिप्पण 5. प्रन्युक् के न्य नंधन और शर्ों मय— मय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी िग नदेशों के धीन होंगी।

टिप्पण 6 भार सरकार में उच्च र स् र परेवा करने वाले व्यक् (केवल वेतन मैट्रिक् में स् र 13 या निदेशक के मकक्ष), भी आवेदन कर के है और गर ह त वर्ग के कोई उपयुक् उ मीदवार नहीं पाया जा त है त उन्हें न्युक् के योग्य समझा जाएगा।

यदि वभागीय चयन समिति है, त उ की रचना।	भ र्ति करने में किन परि स्थ यों में िघ लोकेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
चयन समिति में न नलिखित दस्य होंगे:— (क) ियुक् सचिव, वा णज्य विभाग — ध्यक्ष (ख) प्रंध नदेशक, फुट वयर डजाइन और वका िस्थान (उ की नुप स्थ में चव फुट वयर, डजाइन और वका िस्थान) — दस्य (ग) चमड़ा उद्योगे एक दस्य और; (घ) की प्रमुख िस्थान जैसे केंद्रीय चमड़ा नुसंधान िस्थान अथवा राष्ट्रीय फैशन प्रद्योगकी िस्थान थवा भारीय प्रद्योगकी िस्थान थवा राष्ट्रीय डजाइन िस्थाने वा णज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा नाम एक तहरी वशेषज्ञ।	लागू नहीं हो त।

[फा. सं. के- 50011/1/2018-ईपी (एलएसजी)]

अनीता प्रवीण, ियुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2018

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 35 read with sub-section (1) of section 18 of the Footwear Design and Development Institute Act, 2017 (20 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Executive Director in the Footwear Design and Development Institute namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Footwear Design and Development Institute, Executive Director Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications etc. shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Selection Procedure.** – (1). By invitation of applications through open advertisement including advertisement in ‘Employment News’.

(2). The minimum time allowed for receipt of application should be four weeks. In urgent cases where there are compelling reasons to fill the vacancy early, a shorter time period of not less than two weeks is prescribed with the approval of Joint Secretary, Department of Commerce.

(3). The applicants from Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognized Research Institute are required to apply through proper channel, who in turn will forward copies of completed Annual Confidential Report/Annual Performance Appraisal Report for the last five years.

(4). To conduct the selection and appointment process in a fair, transparent and proper manner, a Selection Committee shall be formed by the Department of Commerce. The composition of Selection Committee shall be as specified in column (12).

(5). Quorum of at least three members, including Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be required for convening a meeting of Selection Committee. Managing Director, Footwear Design and Development Institute shall be the Member Secretary of the Selection Committee.

(6). The Department of Commerce shall issue the advertisement for inviting the applications for the post of Executive Director, Footwear Design and Development Institute. All the applications so received shall be handed over to the Selection Committee. The Selection Committee shall scrutinise, shortlist the applications received on the basis of eligibility criteria and the Selection Committee shall recommend a panel of names of suitable candidates from the shortlisted candidates on the basis of personality test / interview or any other method as deemed fit. The recommendation of the Selection Committee shall be put-up for approval of the Minister concerned who will be the competent authority in the case and after approval of the competent authority, the candidate shall be appointed as Executive Director, Footwear Design and Development Institute from the panel of names as per the serial order in the panel.

5. **Applicability of other rules etc.** – (1) The officer should be clear from vigilance angle and certificate to this effect shall have to be furnished by the parent cadre of the applicant while forwarding the application.

(2). The officer should not have been debarred from central deputation.

(3). The officer should have at least “very good” service record in the last five years, however, preference will be given to officers who have “outstanding” service record with a grading of eight and above.

(4). The officer should not be on study leave or long leave on the date of submitting the application.

(5). The officer should not have been nominated for foreign training or should not be on training or foreign assignment on the date of submitting the application.

(6). All applicable rules and regulations including disciplinary rules etc. shall apply to the appointee.

(7). The Officer will have an “All India” liability to serve in any campus of Footwear Design and Development Institute.

6. **Disqualification.**— No person,-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Schedules Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay-matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age Limit for Direct Recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Executive Director.	12* (Twelve). *Subject to variation depending on workload	Not applicable.	Level-12. (78800-209200)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other Qualifications required for direct recruits.	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of Probation, if any.
7.	8.	9.
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer.
10.
By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/transfer, grades from which promotion or deputation / transfer is to be made.
11.
<p>By deputation (including short-term contract):</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(i) (a) holding analogous post on regular basis: or</p> <p>(b) with at least eight years' service in Group 'A' or equivalent service in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute on the closing date of application.</p> <p>(c) out of the eight years of service in Group 'A' as mentioned above, at least five years of service should be in level 11 in the pay matrix, equivalent in the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or University or recognised Research Institute.</p> <p>(ii) Possessing the following qualifications, namely:-</p> <p>(a) Bachelor degree from a recognised University:-</p> <p>(b) with at least five years' experience in the field of administration.</p> <p>(iii) Desirable</p> <p>(a) Experience in Leather Technology or Industry of at least one year .</p> <p>(b) Master in Business Administration.</p> <p>Note 1.—The period of deputation including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.</p>

Note 2.—The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3.— The period of deputation shall be for a period of five years subject to overall ceiling prescribed by the Government of India. The deputation will be on foreign service terms and conditions of the Central Government.

Note 4.—In the event of performance being found unsatisfactory, the competent authority reserves the right to repatriate the officer to his/her parent cadre any time during the tenure. The decision of the competent authority in such cases shall be final and binding.

Note 5.—Other terms and conditions of the deputation shall be governed by the relevant instructions issued by the Central Government from time to time.

Note 6.—Individuals serving in a higher level (not higher than level 13 or equivalent to the Director in the Government of India can also apply and they shall be considered for appointment, if a suitable candidate from the eligible category is not found.

If a Departmental Selection Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
12.	13.
(a) Joint Secretary Department of Commerce-Chairperson (b) Managing Director, Footwear Design and Development Institute (in his absence Secretary, Footwear Design and Development Institute) - Member. (c) One member from Leather Industry; and (d) One outside expert of eminence from prominent organisations like Central Leather Research Institute or National Institute of Fashion Technology or Indian Institute of Technology or National Institute of Design to be nominated by the Department of Commerce, Government of India.	Not applicable.

[F. No. K-50011/1/2018-EP (LSG)]

ANITA PRAVEEN, Jt. Secy.